

### FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

पतराम

बनाम

चतराराम वगै.

किस्म मुकदमा :-रिमाण्ड प्रकरण

मु.नं. एवं सन 76/16 व 2016/00145

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
03.10.19	<p>पत्रावली पे 1 हुई। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि रिमाण्ड प्रकरण में एसीसी (अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेतन) द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता। एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को हाजिर होने के लिए इजलास में बार-बार आवाज लगाई गयी। आवाज लगवाने पर भी हाजिर नहीं होने पर पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	